बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

कार्यालय आदेश

का०आ०सं० :–2/अ0प्र0–1–53/2020 29 /पटना, दिनांक :– 10.6.2020

श्री अशरफ अली, तदेन कनीय अभियंता, राष्ट्रीय ग्रामीण नियोजन, कार्यक्रम, गया के विरूद्ध गया जिले के बराचट्टी प्रखंड में सुनिश्चित रोजगार योजना के तहत योजना संख्या–4/96–97 हरैया नदी से हरैया हरिजन टोली एवं हरैया हरिजन टोली से हरैया ग्राम तक हार्ड सर्फेस पथ के निर्माण में पायी गयी अनियमितता के संदर्भ में जिला पदाधिकारी, गया द्वारा प्रतिवेदित आरोपों के आलोक में विभागीय पत्रांक 4213 अनु0 दिनांक 03.06.2008 द्वारा तत्कालीन पैतृक विभाग पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को अनुशासनिक कार्रवाई हेतु आरोप पत्र एवं अन्य कागजात/अभिलेख प्रेषित की गयी।

2. पथ निर्माण विभाग के पत्रांक 2356 दिनांक 06.07.2009 द्वारा श्री अली से आरोप पत्र में गठित आरोपों के आलोक में स्पष्टीकरण की मांग की गयी। इस बीच श्री अली का संवर्ग प्राधिकार ग्रामीण कार्य विभाग होने के कारण उनके विरूद्ध अग्रेतर कार्रवाई हेतु पथ निर्माण विभाग के पत्रांक 12482 दिनांक 22.12.2014 द्वारा आरोप से संबंधित संचिका ग्रामीण कार्य विभाग को हस्तांतरित कर दी गयी।

3. श्री अली द्वारा अपना स्पष्टीकरण दिनांक 16.11.2015 को इस विभाग को समर्पित किया गया। प्राप्त स्पष्टीकरण की समीक्षा विभाग द्वारा की गयी तथा समीक्षोपरान्त उसे अस्वीकृत करते हुए श्री अली के विरूद्ध विहित प्रपत्र में आरोप गठित कर कार्यालय आदेश ज्ञापांक–1906 अनु0 दिनांक 15.06.2016 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी, जिसके निमित्त श्री अरूण कुमार महतो, मुख्य अभियंता–2, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना एवं श्री देवकृष्ण कुमार, सहायक अभियंता, गुणवत्ता प्रबंधन–2, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नामित्त किया गया।

4. श्री अरूण कुमार महतो का स्थानांतरण हो जाने के कारण कार्यालय आदेश ज्ञापांक–140 दिनांक 20.01.217 द्वारा उक्त विभागीय कार्यवाही में उनके स्थान पर श्री अनिल कुमार, मुख्य अभियंता–2, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को संचालन पदाधिकारी नामित किया गया। श्री अनिल कुमार के सेवानिवृत हो जाने के कारण कार्यालय आदेश ज्ञापांक–1041 दिनांक 11.05.2018 द्वारा उक्त विभागीय कार्यवाही में उनके स्थान पर श्री योगेश्वर पाण्डेय, मुख्य अभियंता–2, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को संचालन पदाधिकारी नामित किया गया।

5. श्री योगेश्वर पाण्डेय, मुख्य अभियंता–2–सह–संचालन पदाधिकारी के पत्रांक 124 दिनांक 08.01.2019 द्वारा श्री अली के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही का जॉच प्रतिवेदन समर्पित किया गया, जिसमें श्री अली के विरूद्ध गठित छः आरोपों में से आरोप संख्या–3 को आंशिक रूप से प्रमाणित पाया गया तथा शेष आरोपों को अप्रमाणित पाया गया। आरोप संख्या–3 में निम्न आरोप गठित है :–

(i) योजना के द्वितीय चालू विपत्र में 6 स्पैन का आर0सी0सी0 पुलिया की मापी अंकित कर कुल 54,037.17 रूपया का बिल बनाया गया। पुलिया में लोह के छड़ की मापी अंकित कर रेकर्ड इन्ट्री नहीं की गई, बल्कि प्राक्कलन के अनुसार 3 किलो प्रतिघन फीट कंक्रीट की मात्रा के अनुसार आकलन कर 5,945.94 रूपया लागत निकाली गयी, जो अनियमित कार्य है। साथ ही मापी पुस्त में

प्रत्येक छड़ की मापी अंकित कर इसे सहायक अभियंता/कार्यपालक अभियंता से जॉचोपरान्त कंक्रीट से ढलाई किया जाना चाहिए था, जो नहीं किया गया।

6. संचालन पदाधिकारी के जॉच प्रतिवेदन के आलोक में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 18 (3) के तहत प्रमाणित आरोप पर विभागीय पत्रांक 1486 अनु0 दिनांक 29.05.2019 द्वारा श्री अली से द्वितीय कारण पृच्छा की गयी।

7. श्री अली से प्राप्त द्वितीय बचाव बयान दिनांक 10.07.2019 में यह उल्लेख किया गया है कि संचालन पदाधिकारी द्वारा इसे प्रक्रियात्मक भूल माना गया है। साथ ही साथ संचालन पदाधिकारी के प्रतिवेदन से स्पष्ट होगा कि उनके द्वारा वरीय पदाधिकारी यथा सहायक अभियंता एवं कार्यपालक अभियंता द्वारा मार्गदर्शन नहीं दिये जाने का मंतव्य दिया है। इस संबंध में निगरानी विभाग के पत्रांक 462 दिनांक 30.03.1982 की कंडिका–ग(विविध)–10(ख) को इनके द्वारा उद्धृत करते हुए कहा गया है कि –"प्रथम एवं अंतिम विपत्र सहायक अभियंता एवं कार्यपालक अभियंता द्वारा अवश्यक चेक किया जाता है। संबंधित मामले में सहायक अभियंता एवं कार्यपालक अभियंता द्वारा विपत्र जॉचित है।

8. श्री अली के द्वितीय बचाव बयान की समीक्षा विभाग द्वारा की गयी और पाया गया कि चूकि छड़ का Record entry ढ़लाई के पूर्व ही सभी स्तर पर जॉच कर मापीपुस्त में मापी दर्ज किया जाता है। ढ़लाई के उपरान्त वरीय पदाधिकारी द्वारा भी जॉच करना संभव नहीं होता है। जॉच पदाधिकारी द्वारा छड़ कम या अधिक लगने संबंधी प्रतिवेदन नहीं दिया गया है। इस आधार पर श्री अली के द्वितीय बचाव बयान को स्वीकार योग्य नहीं पाया गया।

अतः उक्त के आलोक में श्री अशरफ अली, तदेन कनीय अभियंता, राष्ट्रीय ग्रामीण नियोजन, कार्यक्रम, गया सम्प्रति कनीय अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, शेरघाटी के द्वितीय बयाव बयान को अस्वीकृत करते हुए उनके विरूद्ध प्रमाणित आरोपों के लिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील)(संशोधन) नियमावली, 2007 के नियम 14 (v) में निहित प्रावधान के तहत **"असंचयात्मक प्रभाव से दो वेतन वृद्धि पर रोक"** की शास्ति अधिरोपित एवं संसूचित की जाती है।

19/06/2020

(प्रवीण कुमार ठाकुर)
अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक :– 2/अ0प्र0–1–53/2020 1082 /पटना, दिनांक :– 10.6.2020

प्रतिलिपि :– महालेखाकार, बिहार, पटना, वीरचंद पटेल पथ, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग/कोषागार पदाधिकारी, गया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19/06/2020
अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक :– 2/अ0प्र0–1–53/2020 1082 /पटना, दिनांक :– 10.6.2020

प्रतिलिपि :– प्रधान सचिव/सचिव, पथ निर्माण विभाग/जल संसाधन विभाग/ग्रामीण विकास विभाग/योजना एवं विकास विभाग/भवन निर्माण विभाग/निगरानी विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख, पथ निर्माण विभाग/जल संसाधन विभाग/भवन निर्माण विभाग/योजना एवं विकास विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग/माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग/सभी मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अचंल, गया/कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, शेरघाटी/प्रशाखा पदाधिकारी–5, ग्रामीण कार्य विभाग/विभागीय आई0टी0 मैनेजर/श्री अशरफ अली, तदेन कनीय अभियंता, राष्ट्रीय ग्रामीण नियोजन, कार्यक्रम, गया सुम्प्रति कनीय अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, शेरघाटी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

10/06/2020

अभियंता प्रमुख